614

5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5 INDIA

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्र. 08 विविध – 5475/2018/रतलाम/भू.रा.

रूक्मणी बाई पति प्रकाश, जाति नायक, धंधा–चौकीदारी
निवासी–ग्राम सरसी तहसील जावरा जिला रतलाम
——— आवेदक

विरूद्ध

1– राकेश संतिया तहसीलदार जावरा जिला रतलाम
2– श्रीमती मोहिनी शर्मा पटवारी ग्राम सरसी तहसील जावरा जिला रतलाम म.प्र.
3– सुरेशचन्द्र पिता भांकरलाल नायक
4– कारूलाल पिता भांकरलाल नायक
निवासी– ग्राम सरसी तहसील जावरा जिला रतलाम
5– राकेश मेहरा थाना प्रभारी चौकी सरसी तहसील जावरा जिला रतलाम म.प्र. ——अनावेदकगण

29.8.18

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 12 एवम् आदेश 39 नियम 1 न्यायालय अवमानना

माननीय महोदय,

आवेदक निम्न प्रकार से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है :–

01. यह कि, आवेदिका ने माननीय न्यायालय में अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 31/अपील/17–18 में पारित आदेश दिनांक 09/07/2018 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की थी । उक्त निगरानी में माननीय न्यायालय ने दिनांक 24/07/2018 को स्थगन आदेश दिया था व पेशी दिनांक 26/09/2018 नियत की थी । आवेदिका ने उक्त स्थगन आदेश की जानकारी मौखिक तौर पर तहसीलदार को व पटवारी को दे दी थी किन्तु उनके द्वारा मौखिक जानकारी के आधार पर दी गई जानकारी के संबंध में कोई कार्यवाही नही की तब प्रार्थी ने दिनांक 25/07/2018 को लिखित में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश की प्रति दी गई थी । माननीय न्यायालय के स्थगन के बावजूद भी तहसीलदार व पटवारी ने उसके विपरीत कार्य किया हैं जो माननीय न्याालय के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है ।

02. यह कि, आवेदक को विधिवत् अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थायी चौकीदार के रूप में नियुक्त किया था तब से आवेदक निरन्तर चौकीदारी का कार्य करती चली आ रही हैं तथा सेवा भूमि पर आवेदिका ने सोयाबीन की फसल बोई थी तथा वह उग गई थी जिसे अवैधानिक तरीके से स्थगन होने के बावजूद भी व स्थगन आदेश की जानकारी होने के बाद भी अनावेदक क्रं. 3 व 4 ने फसल नष्ट करने

निरन्तर.........2

श्री- दिनेश [illegible]

M5475/18 रतलाम/ [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा... आदि के हस्ता...
27/12/18	आवेदक अधि. श्री दिनेश [illegible] उप. उन्होंने व्यक्त किया कि वे प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते। उनका अनुरोध स्वीकार करते हुए प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। [signature] [illegible]	चलाना नहीं चाहते [signature]

शाक्षेमुद्र—483—फॉर्म्स—14-3-18-10,000 प्रपत्र.